



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 1541/मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020

रायपुर, दिनांक 19/02/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह  
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
जिला समस्त।


**विषय:- गोबरधन योजना के बाबत।**

विषयान्तर्गत कार्यान्वयन वर्ष 2019-20 की कार्यान्वयन योजना में गोबरधन हेतु 1175 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परन्तु अभी भी इसकी प्रगति काफी कम है। गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र की स्थापना में निम्न बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाये-

1. DPR का पुनर्परिक्षण किया जाये और ध्यान रखा जाये की जितनी गोबर की उपलब्धता वर्ष भर रहती है, उतने ही आकार का बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाये।
2. बायोगैस संयंत्र की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाये, जहां पर घर समीप हो अन्यथा बायोगैस वितरण हेतु पाइप लाइन बिछाने में अधिक धन व्यय होगा व दूरी बढ़ने पर बायोगैस का दबाव भी कम होगा।
3. बायोगैस संयंत्र से निकलने वाले उत्पादों, जैसे स्लरी के उपयोग, लाभ पर जोर दिया जाये तथा स्वसहायता समूह के द्वारा इसको कृषकों, उद्योगकरण विभाग, वन विभाग में इसको वितरण/बेचा जाये, ताकि बायोगैस के संचालन एवं रख रखाव के लिए वित्तीय लाभ मिल सके।

2/ यदि बायोगैस संयंत्र की स्थापना के पश्चात् कुछ समय बाद बायोगैस संयंत्र कार्य करना बंद कर देता है और उसका संचालन व रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से संबंधित जिला उत्तरदायी होगा। इसे फिर से सूचारु रूप से संचालित करने वाली लागत जिले द्वारा वहन की जावेगी।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गोबरधन योजना का इस वर्ष का लक्ष्य पूरा करने का कष्ट करें।

  
मिशन संचालक  
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

अब नहीं तो कब ?